न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 27.3.2023

अभियुक्त मो0 उमर द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–58 प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–58 अभियुक्त मो0 उमर की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–810/18 धारा धारा–147, 149, 386, 364ए, 329, 420, 467, 468, 471, 394,506,411,120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.4. 2019 के अनुपालन में सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 12.6.2018 को प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को दिनांक 26.12.2018 को अतीक अहमद(पूर्व एम.पी.) के सहयोगियों द्वारा उसे उसके घर से जबरन अपहरण करते हुए देवरिया जेल ले जाया और बलपूर्वक शिकायतकर्ता की 4 फर्मो को अपने सहयोगी फारूख व जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवा लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे मारते पीटते हुए उसकी कार को भी छीन ली गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा सोच समझ कर झूंठी दर्ज कराई गई क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26.12.2018 को मिलने के समय के दौरान जेल में घटना घटित हुई जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 28.12.2018 को दर्ज कराई गई है। दौरान विवेचना दिनांक 17.07.19 को आवेदक अभियुक्त पैत्रक आवास में सी0बी0आई0 द्वारा तलाशी की गई। तलाशी के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के छोटे भाई के मोबाइल से आवेदक अभियुक्त को दिनांक 18.07.19 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.7.19 देते हुए सुसंगत दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु दो सप्ताह के समय की मांग किया जिससे उस पर लगाये गये आरोपों को झूंठा साबित कर सके लेकिन जिस दिन आवेदक अभियुक्त को विवेचक के समक्ष उपस्थित होना था उसी दिन उसे पता चला कि विवेचक द्वारा उसके विरूद्व गैर जमानती वारंट प्राप्त कर लिया है जो कि पूर्णतया मनमाना एवं नैसग्रिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व है। प्रकरण के शिकायतकर्ता ने तथ्यों को छिपाते हुए आवेदक अभियुक्त के विरूद्व गलत तरीके से झूॅठे कथनों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा सही तरीके से विवेचना नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत व फर्जी है। शिकायतकर्ता जानबूझ कर यह दिखाना चाहता है कि वह अतीक अहमद को नहीं जानता था और अतीक अहमद द्वारा उससे जबरन पैसे की वसूली की जा रही है जबकि सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता पहले से ही अतीक अहमद को जानता था तथा वह अतीक अहमद के पारिवारिक समारोह में आता जाता था तथा मोबाइल के माध्यम से वॉटसएप पर सन्देशों का आदान प्रदान भी होता था। शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझ कर अपने वित्तीय मामलो को सुलझाने के लिए झूंठे कथनों के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता व आवेदक अभियुक्त के परिवार के मध्य व्यवसायिक सम्बन्ध रहे है और शिकायतकर्ता ने आवेदक अभियुक्त व उसके परिवार के सदस्यों से उसके व्यवसाय में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। यह भी कथन किया गया कि वर्ष 2016 में आवेदक अभियुक्त के परिवार ने शिकायतकर्ता की कम्पनी एम0जे0 इन्फ्रा प्रा0 लि0 में इन्वेस्ट किया था।

वर्ष 2016 में अतीक अहमद के परिजन द्वारा शिकायतकर्ता की कम्पनी में निवेश किया गया जिसे शिकायतकर्ता द्वारा एन.सी.एल.टी. इलाहाबाद बेंच में धारा 241/242 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका में स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर–विरोध होने के कारण आवेदक के विरूद्व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसे आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई है। यह मुकदमा केवल शेयर धारको के विरूद्व ही किया जा सकता है। जमानत प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने बयान दिनांकित 13.01.2019 में यह स्वीकार किया है कि देवरिया जेल में प्रवेश करते समय शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से जेल में प्रवेश करने की औपचारिकतायें पूर्ण की थी। आवेदक/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद का पुत्र है और वह अपनी माता व भाइयों के साथ 26.12.18 को देवरिया जेल में अतीक अहमद से मिलने गया था। आवेदक को इस प्रकरण की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा इस वजह से लिखाया गया कि शिकायतकर्ता जानता था कि अतीक अहमद से उसके व्यवसायिक विवाद का निपटारा तभी हो सकता है जबकि वह अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों को इस प्रकरण में फंसा दे। प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान से यह यह तथ्य साबित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। यह भी कथन किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके विरूद्व दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा जिसमें आवेदक अभियुक्त मो0 उमर भी शामिल था, शिकायतकर्ता को डरा धमका कर मारते पीटते हुए शिकायतकर्ता की फर्मो को अपने सहयोगियों सह अभियुक्तगण जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक पूर्ण स्वामित्व दिलवा दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में स्वीकार किया है कि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के डराने व धमकाने पर वह सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्वयं की गाडी नं0 यू0पी032 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल गया था, जहॉ मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के निर्देश पर आवेदक/अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तों ने मिल कर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर वादी मुकदमा और उसकी बहन आरती जायसवाल के उनके चारों कम्पनियों से त्यागपत्र तथा अन्य कई दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। इसके अलावा वादी मुकदमा से जबरन उसकी बहन आरती जायसवाल के भी हस्ताक्षर सम्बन्धित दस्तावेजों पर बना लिये। आवेदक अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण अपोलो मेडिक हास्पिटल लखनऊ में किया गया। मेडिको रिपोर्ट में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गई थी तथा अन्य गम्भीर चोटे आई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित किया गया था कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल द्वारा दिनांक 26.12.2018 को समय करीब 3.बजे अपराहन देवरिया जेल में कुछ लोगों के समूह द्वारा उसको मारा पीटा गया था। शुरू में शिकायतकर्ता मेन्टल शॉक में था। बाद में उसने थाना कृष्णानगर लखनऊ में 28.12.2018 को प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज कराई और लोक बंधु अस्पताल शासकीय अस्पताल में उसका पुनः विधिक चिकित्सीय परीक्षण हुआ।

सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा यह भी कथन किया गया कि मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया जेल ले जाया गया जहॉ अतीक अहमद व उसके सहयोगियों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया जिसमें आवेदक अभियुक्त मो0 उमर भी शामिल था। आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान लिये गये मोबाइल टावर के लोकेशन से भी यह तथ्य साबित होता है कि दिनांक 26.12.2018 को घटना के समय आवेदक अभियुक्त देवरिया जेल में था। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.12.18 से दिनांक 28.12.18 तक देवरिया स्थित होटल गोल्डन लारेन में ठहरा था और इस सम्बन्ध में होटल के दस्तावेज तथा होटल कर्मचारियों के बयान भी पत्रावली पर मौजूद है। आवेदक अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है और वह स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया था। सी0बी0आई0 द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था जिस पर विवश होकर अवर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व गैर जमानती वारंट, 82–83 द0प्र0सं0 तथा धारा 299 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है।

आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान व दस्तावेजों की सूची भी दाखिल की गई है जिसमें आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा व एक अन्य साक्षी,जो कि घटना के समय देवरिया जेल के उसी बैरक में निरूद्व था, किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत इस स्तर पर उक्त साक्षी का नाम प्रकट नहीं किया गया, का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मोबाइल टावर लोकेशन, अभियुक्त की सीडीआर, मेडिको लीगल रिपोर्ट आदि भी पत्रावली पर उपलब्ध है। सी0बी0आई0 द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित कराया है कि उनके विरूद्व उन धाराओं में आरोप विरचित किया जाय जो कि प्रथम दृष्टया अपराध अभियोजन दस्तावेजों से आकृष्ट होते हो न कि उन सभी धाराओं में जो आरोप पत्र में उनके विरूद्व उल्लेखित किये गये है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त उमर का घटनास्थल पर मौजूद होने के सन्दर्भ में अभियोजन द्वारा कोई भी विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो इस तथ्य को प्रथम दृष्टया साबित करे कि घटना के समय अभियुक्त उमर तथाकथित देवरिया जेल में मौजूद था और घटना में सम्मिलित था। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह अभियुक्त उमर का देवरिया जिले में होटल में रूकने के सन्दर्भ में प्रस्तत किये है न कि जेल मे उपस्थित होने के सम्बंध में। यह भी तर्क दिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में डिजीटल हस्ताक्षर का दुरूपयोग किये जाने का आरोप है न कि कूट रचित हस्ताक्षर बनाये जाने का आरोप है। ऐसे में धारा 467, 468 भा0द0सं0 का अपराध उनके विरूद्व आकृष्ट नहीं होता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रकरण से सम्बन्धित शिकायतकर्ता के स्वयं के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान के अनुसार वह अपनी मर्जी से देवरिया जेल गुलाम मोइनुद्दीन के साथ गया था। उसे कोई भय या धमकी नहीं दी गई थी, जो धारा 364ए भा0द0सं0 के अपराध के लिए आवश्यक है। अतः सम्बन्धित प्रकरण में धारा 364ए भा0द0सं0 के आवश्यक तत्वों का अभाव है।

इसके विपरीत सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायत कर्ता मोहित जायसवाल का अपहरण कर सभी अभियुक्तगण द्वारा रचित आपराधिक षडयंत्र के तहत उसे देवरिया जेल ले जाया गया, जहॉ मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद, आवेदक/अभियुक्त मो0 उमर तथा उनके सहयोगियों द्वारा शिकायतकर्ता को बुरी तरह से मार पीट कर तथा डरा धमका कर शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल से उनकी 4 कम्पनियों के निदेशक के पद से जबरन त्यागपत्र से सम्बन्धित दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर करा कर सह अभियुक्तगण जकी अहमद व मो0 फारूख को उपरोक्त कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व दिला दिया। उक्त सम्पूर्ण घटना में आवेदक अभियुक्त मो0 उमर भी शामिल था। घ ाटना के दिन व समय आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति देवरिया जेल में थी। इस तथ्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायतकर्ता के धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान व आवेदक/अभियुक्त मो0 उमर के मोबाइल टावर के लोकेशन से भी होती है। इस तथ्य का भी साक्ष्य उपलब्ध है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.12.18 से दिनांक 28.12.18 तक देवरिया स्थित होटल गोल्डन लारेन में ठहरा था और इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित होटल के दस्तावेज तथा होटल कर्मचारियों के बयानों से भी होती है। यह भी तर्क प्रस्तत किया गया कि आवेदक अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है और वह स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया था। सी0 बी0 आई0 द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था जिस पर विवश होकर अवर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व गैर जमानती वारंट, 82–83 द0प्र0सं0 तथा धारा 299 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

विधि व्यवस्था **प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B.** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के मुख्य आरोपी अतीक अहमद का सह अभियुक्त होना बताया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार मुख्य अभियुक्त अतीक, जो कि तत्समय देवरिया जेल में बंद था, उसके कहने पर सह अभियुक्त

मोइनुद्दीन द्वारा मामले के शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल का अपहरण कर उसे देवरिया जेल ले जाया गया तथा उसकी फर्मो को सह अभियुक्तों के नाम बलपूर्वक अन्तरित करा लिया गया है। लगाये गये आरोप के सन्दर्भ में में सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। घटना में संलिप्तता के विषय में शिकायतकर्ता द्वारा विशिष्ट रूप से अभियुक्त के नाम का उल्लेख अपने बयान धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 में भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के कथनानुसार अन्य मौखिक साक्षियों द्वारा भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जैसे की मोबाइल टॉवर की लोकेशन, सीडीआर तथा विशेषज्ञ की राय भी अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में बतौर साक्ष्य संकलित करते हुए उसे आरोप पत्र के साथ साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष द्वारा जो मुख्य रूप से तर्क दिये गये है उन सभी तर्को का विशिष्ट रूप से सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रतिउत्तर भी दिया गया है। न्यायालय को इस स्तर पर मात्र यह देखना है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है कि नही, जो कि उनके विरूद्व गम्भीर सन्देह उत्पन्न करते हो। इस प्रकरण में तर्को एवं पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अभियुक्त पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जहॉ तक प्रश्न बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये मुख्य तर्को का है, उस पर न्यायिक अभिमत, गुण–दोष पर विचार किये जाने तथा साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत ही दिया जाना सम्भव है। ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क इस स्तर पर औचित्यहीन हो जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मो0उमर द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–58 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–27.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.27 14:41:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court